Registration of Ram Janam Bhoomi Nyas under foreign contribution (Regulation Act

3322. SHRI KAILASH NARAIN SARANG: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Ram Janma Bhoomi Nyas had applied for registration under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976, if so, when;

(b) whether permission for registration has been granted; if so, when; and

(c) if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) Yes, Sir, on 1-9-89.

(b) No, Sir.

(c) The proposed site of construction of Ram Mandir, being in dispute and the matter being sub judice, it was considered that grant of permission would not be appropriate.

National Highways Trust to monitor use of funds for National Highway

3323. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the State Governments are diverting funds ear-marked for the development and maintenance of National Highways;

(b) if so, the names of such errant States;

(c) whether there is a proposal to form a National Highway Trust; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI K. P. UNIKRISHNAN): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

श्री लंका, यूडा, और फिजी से आये शरणार्थी

3324. **श्री राम नरेश यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 के बीच श्री लंका यूडा और फिजी से भारत आये शरणार्थियों की अलग-अलग संख्या और उनका ब्यौरा क्या है और इन शरणार्थियों की सुरक्षा तथा पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 तक श्रीलंका से 50,701 शरणार्थी भारत में आये । जिन शरणार्थियों ने सरकार से कहा उन्हें तमिलनाडु और उड़ीसा में स्थायी शिविरों और अस्थाई शरणार्थी राहत केन्द्रों में रखा गया है। शिविरों में इन शरणार्थियों को नकद, भोजन कपड़ा, शरण, चिकित्सा सहायता इत्यादि जैसी राहत सुविधायें दी जा रही हैं। क्योंकि श्रीलंका से आए शरणार्थी भारतीय नागरिक नहीं हैं और कुछ समय बाद उन्हें श्रीलंका वापिस भेजा जाना अपेक्षित है इसलिए भारत में उनके पुनर्वास के लिए उपाय करना अपेक्षित नहीं । जनवरी, 1990 जुलाई, 1990 के बीच यूडा से कोई शरणार्थी भारत नहीं आया । जनवरी, 1990 से जुलाई, 1990 की अवधि के मध्य फिजी से राष्ट्रिकों से "शरणार्थी/प्रवासी दर्जा" देने के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

Exemption of Telecommunication Department from the Purview of the consumer protection Act

3325. DR. ABRAR AHMED KHAN:
KUMARI SAYEEDA KHATUN:
SHRIMATI SATYA BAHIN:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are considering to exempt the Telecommunication